संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू–तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल–462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांक :04/10/2024

–सूचना–

–स्नातक काउंसिलिंग कार्यक्रम (स्टेट/ऑल इण्डिया कोटा)–

–बी ए एम एस/बी एच एम एस/बी यू एम एस–

शिक्षण सत्र 2024–25 की प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत वीणा वादिनी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल एवं राजीव गॉधी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली से प्रवेशानुमति प्राप्त न होने के कारण काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया गया था।

उक्त दोनो महाविद्यालयों के द्वारा मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिकाऐं दायर की गई। मान0 उच्च न्यायालय द्वारा दोनो महाविद्यालयों के संबंध में अंतरिम आदेश जारी कर दोनो महाविद्यालयों को शिक्षण सत्र 2024–25 की प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये।

मान0उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के विरूद्ध भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एस0एल0पी0) दायर की गई। जिसमें मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30/09/2024 पारित कर मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी अंतरिम आदेशों को खारिज कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप वीणा वादिनी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल एवं राजीव गॉधी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल को काउंसिलिंग प्रक्रिया से पृथक कर दिया गया है।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

प्र0उप संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0